

05 निर्णित  
20/11/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

24/9/18  
11/10/18  
22/10/18  
29/10/18  
20/11/18

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम





श्री. शंकराराज

हलका. गोमिया जीवराज

पुत्र श्री. प्रेमाराज जाति कत्यादी

निवासी- गोमिया जीवराज

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 05 वर्ष 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
05-9-18	<p>पटवारी हलका <u>गोमिया जीवराज</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2025 में मौजा <u>गोमिया जीवराज</u> के खसरा नंबर <u>13</u> रकबा <u>01-00कीच</u> किस्म भूमि <u>उ. सु.</u> <u>गैर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>24/9/18</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p> तहसीलदार सिणधरी</p>	
24/9/18	<p>पत्रावली माफ प्रस्तुत हुई। गैर सायल शंकराराज उपस्थित में पटवारी हलका उपस्थित गैर सायल <u>गोमिया जीवराज</u> द्वारा इस सभ्य चोहरे है। अतः पत्रावली माईन्डा दिनांक 11/10/18 का बमुकाम <u>गोमिया जीवराज</u> प्रस्तुत है।</p> <p> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p> <u>शंकराराज</u> </p>

R.C.M.S


2018/00016

निर्णित

2011/18

पत्रावली भाण पेश हुई। और साधल उपस्थित  
पधारी हक्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।  
पधारी हक्का की रिपोर्ट का इन्तजार किया  
जाकर पत्रावली दिनांक 2011/18 का पेश है।


  
तहसीलदार सिणधरी



शंकराभा

2011/18


पत्रावली भाण पेश हुई। और साधल उपस्थित  
पधारी हक्का उपस्थित। और साधल इन्तजार  
शुद्धि के अतिरिक्त द्वारा अतिरिक्त हक्का के  
संबंधी पधारी हक्का के रिपोर्ट प्राप्त हुई।  
फैसला मलम के लिखा जाकर सुलेभाधालम  
में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर मंकर से कम  
होकर दारिजल इफतर है।

  
तहसीलदार सिणधरी



शंकराभा

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा निका सं. 4 के  
पृष्ठ 2 पर क्र.सं. 11 पर जुर्माना/फसल  
निसाना, पधारी रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

  
17.12.18  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील सिणधरी